

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/7453/

जबलपुर, दिनांक 22/12/18

श्रीमती ममता दास, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 13.08.18 से 17.08.18 तक 5 दिन, दिनांक 07.09.18 से 18.09.18 तक 12 दिन, दिनांक 11.10.18 से 16.11.18 तक 37 दिन कुल 54 दिन का अर्जित अवकाश इस चेतावनी के साथ स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में बिना सूचना/आवेदन पत्र के तथा बिना अवकाश स्वीकृति के कार्यालय में अनुपस्थित न रहे अन्यथा आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/5354 जबलपुर दिनांक 24.11.2018 के द्वारा रोका गया वेतन का भुगतान किया जाता है।

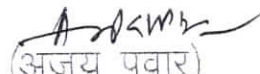
सही/-
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक D/7454/

जबलपुर, दिनांक 22/12/18

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. अनु. अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. सहायक अवकाश/वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती ममता दास, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(अजय पवार)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)